लघु उद्योगों एवं शिक्षित बेरोजगारों के विकास हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं

- **परामर्श एवं परियोजना निर्माण सम्बन्धी कार्य**

जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय द्वारा स्थापित परामर्श कक्ष के माध्यम् से आगन्तुकों को न केवल उद्योग स्थापनार्थ विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है अपितु, परियोजना तैयार करने हेतु विभिन्न मदों में होने वाले व्यय व मशीनों की आपूर्ति के विषय में नवीनतम जानकारी भी दी जाती है।

- **पंजीकरण**

(अ) अस्थायी पंजीकरण :– इकाई की स्थापना के पूर्व इकाई का प्रस्तावित पंजीकरण किया जाता है जिसके आधार पर उद्यमी भूमि, विद्युत, कच्चा माल, ऋण आदि विभिन्न विभागीय सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र होता है।

(ब) स्थाई पंजीकरण :– इकाई की स्थापना के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ करने की दशा में स्थाई पंजीकरण से इकाई को दुर्लभ कच्चा माल, वित्तीय सुविधाएं, आयात–निर्यात एवं विपणन आदि की सुविधाएं प्राप्त होती है।

- **वित्तीय सुविधा**

समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। सम्बन्धित वर्गो के लिए अलग–अलग योजनाओं में ऋण आवेदन–पत्र उनकी पूंजी एवं योग्यता के अनुसार जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से भेजा जाता है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

योजना	विवरण
स्वरोजगार बन्धु योजना	शासन द्वारा विभिन्न विभागों, निगमों आदि के द्वारा बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु संचालित स्वरोजगार योजना को अधिक प्रभावी बनानें के उद्देश्य से ''स्वरोजगार बन्धु'' योजना का गठन शासनादेश सख्या 2854/28–02–98'60 ल.उ./98 दिनांक 09 जनवरी 1998 द्वारा किया गया है। इसके अन्तर्गत जनपद स्तर के आठ विभागों/निगमों को शामिल करते हुए उनके द्वारा संचालित योजनाओं की समुचित जानकारी, प्रक्रिया आदि का विवरण जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के साथ–साथ जिला उद्योग केन्द्र को मिनी सचिवालय की संज्ञा दी गई है।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना	जनपद में शिक्षित बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग निदेशालय के माध्यम् से जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलायी जा रही है। इस योजना में लाभार्थी को अधिकतम रू0 2.00 लाख उद्योग के लिए तथा व्यवसाय के लिए रू0 1.00 लाख का ऋण प्रदान किया जाता है। जिसमें 15 प्रतिशत या रु0 7500 जो कम हो की छूट उपलब्ध करायी जाती है। शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के लिए नियमानुसार आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्न है। • लाभार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। • लाभार्थी की कम से कम आठ पास हो। • लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 40,000 से कम हो। • लाभार्थी जनपद का तीन वर्ष से अधिक का निवासी हो। • लाभार्थी किसी बैंक का चुकत्ता न हों। • महिला/अल्पसंख्यक को चयन में वरीयता • अनुसूचित जाति/महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/ विकलांग आदि की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हों। • चयनित लाभार्थी को 10 से 15 दिनों का मौलिक/व्यवसायिक प्रशिक्षण/ छात्रवृति की सुविधा अनुमन्य हों।
उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	इस योजना के अन्तर्गत भावी उद्यमियों को उद्योग की स्थापना के विषय में विभिन्न प्रकार की विभागीय तथा अन्य निगमों/संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करायी जाती है एवं विभिन्न प्रकार के उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए प्रोजेक्ट आदि की भी जानकारी दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर/तहसील स्तर एवं जिले स्तर पर एक/दो तथा चार एवं छः साप्ताहिकी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com